माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म० प्र०)

निग /3832-II-15

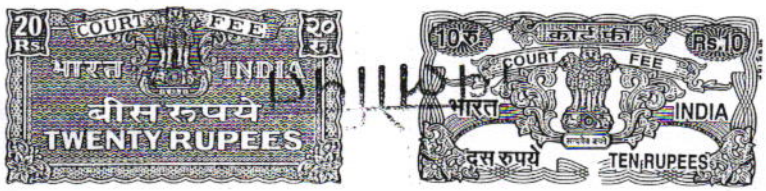

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 Rs.

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs.

1. शान्तेराम तनय स्वर्गीय हीराराम ब्रा0 उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
2. छोटेराम तनय स्वर्गीय हीराराम ब्रा0 उम्र– 50 वर्ष, पेशा– खेती,

दोनो निवासी ग्राम– कुकुड़ीझर, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

------ पुनरीक्षणकर्ता / उत्तरवादीगण

श्री ओ.पी. शर्मा एड० द्वारा आज दि. 26-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 26/11/15

बनाम

1. मोतीलाल तनय स्व0 बैजनाथ राम ब्रा0 उम्री– 60 वर्ष, पेशा– खेती,
2. रामराज तनय स्व0 बैजनाथ राम ब्रा0 उम्री– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
3. रामसजीवन राम तनय स्व0 बैजनाथ राम ब्रा0 उम्री– 50 वर्ष, पेशा– खेती,

तीनों निवासी ग्राम–कुकुड़ीझर, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

4. मध्यप्रदेश शासन

--- गैरपुनरीक्षणकर्ता / अपीलार्थीगण

O.P. Sharma Advr.

ओ. पी. शर्मा (एडवोकेट) राजस्व मंडल, मोतीमहल (म.प्र.) ग्वालियर, मो.: 98262-65627

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी राजस्व अपील संख्या 11 / अपील / 2014–15 आदेश दि0– 28.09.2015 जिसके अनुसार गैरपुनरीक्षण / अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत धारा– 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील करनें में हुये विलम्ब को माफ कर दिया गया है तथा अपील को गुण–दोष पर सुनवाई के लिये ग्राह्य कर लिया है।

शाखा प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

शान्तेराम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3832–2/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शांतेराम/मोतीलाल	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2 –12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री ओ0पी0 शर्मा उपस्थित । शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता एवं शासकीय पेनल अधिवक्ता को सुना गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में कलेक्टर द्वारा दी गयी विलम्ब माफी को लेकर विवाद है। कलेक्टर ने यह विलम्ब माफी का आदेश जारी करते समय न्यायदृष्टांत 1997(2) विधि भास्वर 124, गणेश वि. झुट्टू, प्रकीर्ण अपील क0 18/1992 का हवाला लिया है। अपने तर्क में विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मेमो के पृष्ट 6 पैरा 4 पर लिखे न्यायदृष्टांत ए आई आर.2014 एस सी 746 वासवराज व अन्य विरूद्ध स्पेशल लेण्ड एक्वीजीशन आफीसर का हवाला लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने एवं निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में विचार उपरांत मैं यह पाता हूँ कि कलेक्टर के समक्ष पक्षसमर्थन का पर्याप्त अवसर अभी आवेदक को उपलब्ध है एवं केवल बिलम्ब माफी से आवेदक के कोई हित प्रभावित नहीं हुए हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में आक्षेपित आदेश यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा. रि. हो। सदस्य	